कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 2019/नातौ/अ–1(1)/2001, भोपाल दिनांक 27.4.2001

प्रति,

समस्त सहायक/उप नियंत्रक, एवं
निरीक्षक नाप तौल, म.प्र.

विषयः– आयातित पैक बंद वस्तुओं पर पी.सी.आर. नियमों का पालन बाबत्।

वर्तमान समय में बाजारों में बहुत प्रकार की विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा है, इनमें पैक बंद वस्तुए भी शामिल है, बांट तथा माप मानक (पैक बंद वस्तु) नियम 1977 के नियम 33 में आयातित पैकेजों पर भी घोषणाएं की जाना आवश्यक है, जबकि यह पाया जा रहा है कि इन पैकेजो पर नियमानुसार घोषणाएं आदि नहीं होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बाजार निरीक्षण में यह सुनिश्चित करे कि इन आयोजित वस्तुओं पर पी.सी.आर. के नियमों का पालन हो रहा है या नही यदि पालन नही हो रहा है तो नियमानुसार विक्रेता एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही करें। उक्त नियमों का उद्धरण पुनः संलग्न है।

संलग्न :– एक
(नियंत्रक द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल